

१. नियमांकली

- ११। संस्था का नाम : दोतालान रसोयोगी प्रज्ञेशनल एकाडमी।
- १२। संस्था का पूरा नाम : १/१६४ लोहिया नगर लखनऊ २२६ ०८।
- १३। संस्था का कार्यालय : समूही उत्तर प्रदेश।
- १४। संस्था के उद्देश्य :
- १५। जातीक वार्षिका औं लोकेशनों से लेकर उच्च शिक्षा तेकर गुप्ती एवं  
नागरिक बनाना।
- १६। चालान के इसमें हेतु बालबाटी रक्षालय हेतु व्यापार शाला आदि  
की व्यवस्था करना तथा इसकी लार्डिटेक वर्धानी या आवेदन करना।
- १७। नवद्वीप हेतु पुस्तकालय जातीकालय को स्थानन्द बरना तथा संचालन  
करना।
- १८। गुप्ती शिक्षा एवं निराकृति प्रेहलाओं की खेती व बूद्धि बाबू व बुनाई  
तथा शिक्षण बना का प्रशिक्षण देना।



१९। अधिकारी व प्रधान पदाधिकारी के अवृत्ति :

- २०। संस्था के स्मृति पत्र में उत्तीर्णीकृत प्रबन्ध कारिणों द्वितीय में  
कुम संस्था। से ४ तक सदस्य संस्थापक सदस्य होंगी। ऐ  
संस्थापक सदस्य आज्ञोत्तर सदस्य होंगे तथा किसी वन्य प्रकार  
का शूल्क नहीं देना होगा।

- २१। आज्ञोत्तर सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विलास हेतु रक्षम ₹०५०००/- नक्ष पा  
इतने हो मूल्य की सम्पत्ति प्रदान होगा वह संस्था का आज्ञोत्तर  
सदस्य बनापा जाएगा।

तिथि: २/-----

संस्था प्रतिष्ठिति

दिव्यो रामदास  
प्रौद्योगिकी विद्या संसाधनी  
२२१२-०५

**प्रत्यक्ष सदस्य :** जो व्यक्ति संख्या के बिन्दुस के लिए ₹० 1000/- ग्राहक पा इन्हीं ही पूँजी की समीक्षा प्रदान करेगा। वह ५ वर्ष के लिए संख्या का सामान्य सदस्य बनाया जाएगा। ५ वर्ष के बाद उसको ₹० 1000/- ग्राह अगले ५ वर्ष के लिए मूल्क देगा होगा। कोई भी सामान्य सदस्य तब तक प्रबन्धकारिणी समिति ऐ नहीं लिया जाएगा जब तक उसने १० वर्ष को सामान्य सदस्य को अंतिम तर पूरी कर लो ली।

६६१ भट्टसाहा को समर्पिज़ :



- १- यृत्यु हो जाने पर।
  - २- प्रामाण या दिवालिया हो जाने पर।
  - ३- सेत्या ऐ प्रूति छानि को बद्ध करने पर।
  - ४- न्यायालय दूखारा दीप्तिह दीने पर।
  - ५- सदस्या शुल्क न अदा करने पर।
  - ६- लगतार तोन वै ठक्कों में बनस्थिति होने पर।

### ੴ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਗਿਆਨ

॥ वृ० - साधारण सभा एवं  
॥ वृ० - प्रबन्धकारिणो समिति।

Digitized by srujanika@gmail.com

**क्षमा गुण :** संस्था के युभी प्रकार के सदस्यों को जो निपत्तावलों में विधिति है को गिराकर सामग्रण सभा का गठन होगा।

**हिन्दू धर्म :** सामाजिक सम्भाल को सामाजिक वैठक सामाजिक दो बार दीवियों द्वारा कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को शुद्धिता देकर बलाई जा सकती है।

क्रमसंख्या: ३/-----

भास्य प्रतिलिपि

प्रियदर्श निवास  
प्रियदर्श निवास, वडा शाहाबादी  
प्रियदर्श निवास, वडा शाहाबादी  
२३/१२०८

**III. सूचना लिखि :**

साधारण दमा को या मान्य बैठक को सूचना । ५ ।  
पूर्व व विशेष बैठक को सूचना ७ दिन पूर्व सदस्यों ने  
लिखित रूप में दो जापेगो।

**IV. अनुचित :**

साधारण दमा के बुल सदस्यों में से २/३ सदस्यों ने  
उपरिस्थित ग्रन्थीत गान्य होगो।

**V. नियम/दार्त्तक गुहाहारन की लिखि :**

साधारण दमा का वार्षिक अधिकारियन साल में प्रति वर्ष  
होगा जिसको विधि प्रबन्धकारिणी समिति के २/३  
सदस्यों के बहुमत से तय लो जाएगा।

**VI. दार्त्तक ग्रन्थीत की लिखि :**

- 
- 1- प्रबन्धकारिणी समिति का निवाचन करना;
  - 2- संस्था का वार्षिक बजट पास करना;
  - 3- संस्था द्वारा वार्षिक स्ट्रोट पास करना।
  - 4- संस्था के नियमों में संशोधन प्रक्रिया करना।

**9- प्रबन्धकारिणी समाप्ति :**

**विधि मत्तु :**

साधारण दमा द्वारा निवाचित सदस्यों को मिलाकर<sup>प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें उपरा</sup>  
<sup>एक उपाध्यक्ष एक प्रबन्धक एक संत्रो एक कोषाध्यक्ष</sup>  
<sup>तथा दो सदस्य होंगे इस प्रकार कुल संस्था ८ । जाठे</sup>  
<sup>होगी।</sup>

**विधि बैठक :**

प्रबन्धकारिणी समिति को या मान्य बैठक साल भै चार  
वार व विशेष बैठक रामो भो आवश्यकतानुसार  
सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

क्रमांक: 4/-

अधिकारी

प्रबन्धकारिणी समिति  
231204

९। दूसरा अंतिम :

पुबन्धकारिणो समिति को सामान्य बैठक की शुरुआत ७ दिन पूर्व व रात्रोप बैठक को मुद्रना २४ पाले ७वें सदस्यों द्वारा जापेगा।

१०। आधिकारिक :

पुबन्धकारिणो समिति के कल सदस्यों में से २/३ सदस्यों की उपस्थिति गण्यमुक्त होगी।

११। विषय सभानों को पूर्ति:

पुबन्धकारिणो समिति के अन्तर्गत कोई भी आजीवन स्थान को छोड़ा होने पर उसको पूर्ति साधारण सभा के २/३ सदस्यों द्वारा मुमत्त से शेष कार्यकाल के लिये दी जाएगी।

१२। पुबन्धकारिणो समिति के कर्तव्य/अधिकार :

- १- संस्था को उन्नति के लिये आवश्यक कार्य बनाए।
- २- संस्था का धार्षिक बजट तैयार करना।
- ३- संस्था की धार्षिक रिपोर्ट बैठक पर दिया।
- ४- दान अनुदान व घन्दा प्राप्त कर उद्देश्य पूर्ति में लगाना।

पुबन्धकारिणो समिति का कार्यकाल ५ साल का होना।

१३। पुबन्धकारिणो समिति के वदाधिकारीयों के अधिकार व कर्तव्य :

क.पा.:

- १- सदस्य बैठकों को लाभान्वयन करना।
- २- बैठकों के लिये दिनांक का अनुमोदन करना। परिवर्तन करना और बैठकों को स्थगित करना।
- ३- समान मत होने पर निर्णायक बैठक बैठना।
- ४- बैठक में शास्त्रीय व्यवस्था का प्रयोग रखना।

*M. J. M.* द्वारा: ५/.....

*N. J. 10.91* *22.12.84*

रिक्त ज्ञान विद्यालय  
22.12.84

लाया को अनुरिप्ति में कार्य करना और उसे याएं  
में शहरीय प्रदान करना।

उपाय : \_\_\_\_\_

पृष्ठा : \_\_\_\_\_

- 1- संस्था आ वार्षिक कार्यालय के अमें करना।
- 2- प्रबन्धाधिकारी चमिति के विधायकों को बार्फारी करना।
- 3- पारित कट के अन्तर्गत ज्यव दो स्वीकृत करना।
- 4- समस्त विधिय स बाहुदर्ती पर हस्ताक्षर करना।
- 5- राजकीय सहायता एवं अनुदान प्राप्त करना।
- 6- संस्था दो ओर समस्त अदालतों कार्यवाही करना।
- 7- संस्था द्वारा संचालित विद्यालय के अध्यार्थियों /  
जागायर्दों को नियमित निष्काशन पदोन्नति परं  
वेतन वृद्धि करना जिसमें मन्त्री की अनुमति की जाएगी।
- 8- संस्था के अधिकारी य पृष्ठ सुरक्षित रखना।
- 9- संस्था को एवरस्ट चल व अल सम्पत्ति को युटा  
करना और उस पर नियन्त्रण राना सभा उसका  
व्यापार मन्त्री को देना।
- 10- संस्था या समिति द्वारा संचालित विद्यालय में  
विशेष सदस्य/पदाधिकारों या कर्मचारों द्वारा तंत्रज्ञ  
विरोधी वार्षिक पाये जाने पर उसे दण्डित करना या  
निकारासित करना। जिसमें मंत्री की सहमति  
शर्मिकार्य जोगी।

मन्त्री : \_\_\_\_\_

- 1- संस्था को ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।
- 2- खेलों को युटना व सदस्यों की लिखित अमें देना।
- 3- खेलों को कार्यवाही विधिवत बरना व युटना।
- 4- सदस्यों का नाम रजिस्टर में लिखना।
- 5- संस्था के विकास हेतु ऊन्य वार्षिक करना।

11- तंत्रज्ञ के नियमों व विधिग्रन्थों में संशोधन प्रक्रिया :

ग्रामाधिकारी सभा के 2/3 सदस्यों द्वारा संस्था के नियमों  
में संशोधन परिवर्तनविधा जायेगा।

*H. J.*

*संस्था प्रतिविधि*

तिथि: 6/-----

दिव्यी राज्यपाल  
परम पद इन्द्र, राजा संघार्थी  
*23/12/09*

12- रेस्पा का नोप :

रेस्पा का नोप विहो मी राष्ट्रोपकृत भैना पा  
पीस्ट लाइस में रेस्पा के नाम से पाना तो  
ज्या किए जायेगा जो अस्था पा उपाध्या के  
उस्ता भर के चिन्हना जायेगा।

13- रेस्पा के लाय न चय का लेहा परोक्ति आदिट्ट :

रेस्पा के लाय न चय का लेहा परोक्ति तु  
धाईड़ एकाउन्ट द्यारा कराया जायेगा।

14- रेस्पा दूल रा अवा उसके विलह उद्योगों का विवरण का  
देवरदारी पत्र :

यदि रेस्पा विहो पर मुकदमा चलाती है तो  
रेस्पा पर ऐर्द मुकदमा चलाता है तो उसके  
पास-क्षय की पेरवो कादापित्व पुदन्धक पर  
लोगा पा प्रबन्धक द्यारा अधिकृत अन्य  
स्थिति पर होगा।

15- रेस्पा के सभीलेस :

11। सदस्यता रजिस्टर।

12। कार्यवाहो रजिस्टर।

13। स्टाक रजिस्टर।

14। बैश्वक आदि।

16- अधि के विवरण एवं विवित सम्पत्ति के निरतारण को कार्यवाहो  
"लोडस्टोर रजिस्ट्रेशन अधिनियम को पारा 13-14" के अन्तर्गत को  
जायेगो।

अन्तर्क : 24.10.1932

सम्प्रतिलिपि

125. १५०३५

राज्य संसद विवरण विवरण  
प्रबन्धक द्यारा  
23/2-09